


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

फर्द अहकाम


दिनांक

08 ⁹/₂₅

पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उप.। प्रतिवादी सं. 2 के वकील उप.। प्रतिवादी सं. 4 के रजि. सम्मन तलवाना पेश होने पर जारी होरद पत्रावली दि. 09 ⁰⁹/₂₅ में पेश हो 

09 ⁹/₂₅

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आगज डिलाने के उपरान्त भी वारी एवं उनके अधिवक्ता उप. नहीं हुए। अतः मु० नं० 18/19 उम्बानी अमीर बेनाम उन्नु दावा बाबत तकास्मा व स्थायी निवेद्याज्ञा अदम वैरकी अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल गुमार होरद बाद तमील नं. से अम की जाबद राखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया 

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)